(12)

आयोजनागत

संख्याः ——— /I(2)/2012-07-03/2012

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 16 मार्च, 2012

विषयः– **ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्र संख्या 128, दिनांक 24.01.2012 एवं शासनादेश संख्याः 2550/I(2)/2011-07(1)/07/2006 दिनांक 28.12.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0डी0बी0 सहायतित 400 के0वी0 श्रीनगर सब स्टेशन के निर्माण हेतु ए0डी0बी0 से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 8,00,00,000.00 (₹ आठ करोड़ मात्र) ऋण के रुप में की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

6– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

7– अवमुक्त की जा रही धनराशि के प्रतिपूर्ति दावे सक्षम स्तर के माध्यम से ए0डी0बी0 को प्रस्तुत कर धनराशि की समय से प्रतिपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8– ए0डी0बी0 से ऋण की किश्तों का आहरण निर्धारित समय सारिणी अनुसार समय से कर लिया जायेगा तथा योजनाओं का कियान्वयन भी निर्धारित समय में पूर्ण किया जायेगा।

9– योजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि, अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि व वर्तमान में आवंटित की जा रही धनराशि योजना हेतु कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही रहेगी।

.....2

10– ऋण के रुप में दी जा रही धनराशि के मूलधन एवं ब्याज की वापसी ए0डी0बी0 एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये निर्धारित समय सारिणी में किया जायेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष संलग्न विवरण 'क' के अनुसार वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 99/XXVII(2)/2012, दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 सन्धु)
सचिव

संख्याः 3660 /I(2)/2012-07-03/2012, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त वर्णित संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2
6– नियोजन विभाग।
7– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8– मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– विशेष सैल, ऊर्जा।
10– चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0ओ0 (ए0डी0बी0)।
11– बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
12– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक– यथोक्त।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्याः 366 /I(2)/2012-07-03/2012, दिनांक 16 मार्च, 2012 का संलग्नक 'क'

विषयः– ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	21	6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज –05– पारेषण एवं वितरण–190– सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–97 वाह्य सहायतित योजना– 01– पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायता (ए0डी0बी0) –30 – निवेश/ऋण	500.25
2	30	6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज –05– पारेषण एवं वितरण–190– सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–97 वाह्य सहायतित योजना– 01– पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायता (ए0डी0बी0) –30 – निवेश/ऋण	275.75
3	31	6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज –05– पारेषण एवं वितरण–796– जनजाति क्षेत्र उपयोजना –97 वाह्य सहायतित योजना– 01– पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायतित ऋण –30 – निवेश/ऋण	24.00
		योग :–	800.00

कुल ₹ 8,00,00,000.00 (₹ आठ करोड़ मात्र)

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव